[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 17/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 09 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. (अ). जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया गणराज्य और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है), में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 8708 70 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 22 मई, 2015, जिसे सा.का.नि. संख्या 414(अ), दिनांक 22 मई, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में अधिसूचना संख्या 7/31/2018-डीजीडीआर, दिनांक 10 अगस्त, 2018, जिसे दिनांक 10 अगस्त, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित, समीक्षा शुरू की थी ;

और जहां कि उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 7/31/2018-डीजीएडी, दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे दिनांक 29 मार्च, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि ;

(**क**) विषयगत वस्तुएं अपने सामान्य कीमत से कम कीमत पर विषयगत देश से आयात की गई है;
(**ख**) पाटन आयात के कारण घरेलू उद्योग को लगातार क्षति हुई है;
(**ग**) इस प्रकार के पाटन आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति जारी है और
(**घ**) यदि विषयगत देशों से होने वाले आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो इससे घरेलू उद्योग को लगातार क्षति होने की संभावना है;
(**ङ**) इस समीक्षा जांच के दौरान चीन जनवादी गणराज्य के कुछ उत्पादक-निर्यातक ने प्रत्युत्तर दिया है और सहकारी उत्पादक निर्यातकों (जिन्होंने अपना पूरा उत्तर दायर किया है) के नमूने लिए

गए हैं । जिन उत्पादकों के नमूने लिए गए हैं उन्होंने भारत के एक ही निर्यातक के माध्यम से तथा सामान्य से कम मूल्य पर (निर्मित) निर्यात किया है और इस प्रकार पाटन आयातों के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हो रही है ।

(**च**) कोरिया गणराज्य के किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने वर्तमान समीक्षा जांच में सहयोग नहीं दिया है । थाईलैंड के उत्पादक-निर्यातक ने जो जानकारी दी है वह अपूर्ण है अत: इसे गैर सहयोगी घोषित कर दिया गया है ।

(**छ**) उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि इन देशों से सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात हुए हैं ।

और उन्होंने घरेलू उद्योग को होने वाली इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत वस्तु जो कि विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है और भारत में आयातित है, के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका मूल्यांकन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन उप-शीर्षक के अंतर्गत आती है जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित हैं, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातकों से भारत में निर्यातित है, और कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि की बराबर की दर से और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	उप शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन और/या निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	8708 70	कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे	चीन जनवादी गणराज्य	सीआईटीआईसी डाइकेस्टल कंपनी लिमिटेड/ एसएमएक्स	सीआईटीआई सी डाइकेस्टल कंपनी लिमिटेड	0.08	अमेरिकी डालर/ किलोग्राम

		इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो		डाइकेस्टल मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, क्वींगहुआंगडाओ डाइकाझिंगलोंग व्हील मैन्युफेक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, /क्विंगहुआंगडाओ झिंगलोंग व्हीलस कंपनी लिमिटेड,/बिंजझाओ मूवेवर डाइकेस्टल व्हील कंपनी लिमिटेड			
2	8708 70	कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो	चीन जनवादी गणराज्य	झेजिआंग जिनफेई कैडा व्हील कंपनी लिमिटेड	झेजिआंग जिनफेई कैडा व्हील कंपनी लिमिटेड	0.08	अमेरिकी डालर/ किलोग्राम
3	8708 70	कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो	चीन जनवादी गणराज्य	शांगडोंग शुआंग वेंग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	शांगडोंग शुआंग वेंग एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	0.08	अमेरिकी डालर/ किलोग्राम
4	8708 70	कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो	चीन जनवादी गणराज्य	झेजिआंग जिनफेई कैडा व्हील कंपनी लिमिटेड	झेजिआंग शुगुआंग इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड	0.08	अमेरिकी डालर/ किलोग्राम
5	8708 70	कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे	चीन जनवादी गणराज्य	उपर्युक्त से भिन्न अन्य कोई भी	उपर्युक्त से भिन्न अन्य कोई भी	2.15	अमेरिकी डालर/ किलोग्राम

		इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो					
6	8708 70	कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो	कोरिया गणराज्य	कोई भी	कोई भी	1.18	अमेरिकी डालर/ किलोग्राम
7	8708 70	कास्ट एल्यूमीनियम एलाय व्हील्स (ARW) जिनका प्रयोग मोटर वाहनों में होता है, चाहे इसमें सहायक उपकरण लगे हों या नहीं, जिनका व्यास 12 इंच से 24 इंच तक हो	थाईलैंड	कोई भी	काई भी	1.06	अमेरिकी डालर/ किलोग्राम

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

(फाइल संख्या 354/241/2012-टीआरयू (पार्ट-।।))

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार